

## CS 20 पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की प्रक्रिया (दिनांक में 06-05-01)

श्रेणी:	स्वास्थ्य, सुरक्षा और यौन दुर्व्यवहार
धारक:	यौन दुर्व्यवहार और
दुर्व्यवहार:	भेदभाव हार
विषय:	यौन
दुर्व्यवहार:	
प्रभाषिणी दिनांक:	14 अगस्त, 2020 संशोधित
दिनांक:	19

### विषय - सूची

I. प्रासंगिकता: प्रयोजन और अधिकार-क्षेत्र .....	2
II. यौन दुर्व्यवहार की ररपोर्य करने और शिकायत दर्ज करने के लिए वकल्प .....	3
III. जांच और समाधान प्रक्रियाओं को समझना.....	5
IV. अपील हैचि करना .....	10
V. पररशशर् A: ववश्वववद्यय और सामुदायक संसाधन .....	11
VI. पररशशशर् B: गोपनीयता .....	16
VII. पररशशशर् C: अन्य प्रासंगिक ववचार .....	19

## I. प्रासांगिकता: प्रयोजन और अगधकार-क्षेत्र

### A. प्रयोजन

यह दस्तावेज़ यौन दंडु यवहार के खिाफ ववशववदयाििय के यनषेि से संबंढित प्रक्रियाओं को स्थावपत करता है, जैसा क वपट्सबगय ववशववदयाििय की यौन दंडु यवहार नीयत 06-05-01 ("नीयत") में उल्लिखित है नीयत के सभी प्राविान संदभय के अनुसार शाशमि कए गए हैं। ध्यान दें: यह दस्तावेज़ ववशववदयाििय के "यौन उत्पीड़न" के यनषेि पर िागू नहं होता है, जैसा क नीयत CS 27 के तहत ववशेष रूप से पररभावषत कया गया है और उस पर चचाय की गई है।

जब यौन दंडु यवहार होता है, तो ववशववदयाििय दुरु ाचार को समाप्त करने, उसकी पुनरावृि को रोकने और दोनो वयलतयो और ववशववदयाििय समुदाय पर पड़ने वािे प्रभावों को दर करने के शिए कायय करेगा।

ववशववदयाििय समुदाय के सदस्यों के शिए नीयत और इससे जुड़ी प्रक्रिया यौन दंडु यवहार की शशकायतों के

समािान करने और अपीि के एकमात्र आंतरक ववशववदयाििय मंच के रूप में काम करेगा। (नीयत CS 27 के

तहत कवर कए गए यौन उत्पीड़न की शशकायतों को छोड़कर और अन्यथा उल्लिखित अपीि को िारा IV, हैंडशिओड़कर)।

भेदभाव, जो या तो इस नीयत के तहत यौन दंडु यवहार नहं है या नीयत CS 27 के तहत यौन उत्पीड़न के अिीन है

और इसका ववशिेषण ववशववदयाििय की गैर-भेदभाव, समान अवसर और सकारात्मक कारयवाई नीयत CS 07 (प

में 07-01-03) और संबद्वि प्रक्रिया य में 07-01-03) या अन्य उपयुतत नीयत या प्रक्रिया के तहत CS 07 (प जाना चाहए। कया

### B. अधिकार क्षेत्र

यह प्रक्रिया ववशववदयाििय समुदाय के सभी सदस्यों पर िागू होती है। कृपया अधिकार क्षेत्र के ववसतत ववरण के

शिए कृपया वपट्सबगय ववशववदयाििय की यौन दंडु यवहार नीयत CS 20 (प य में 06-05-01, "नीयत") देिें

## II. यौन िंडु यिहार की ररिोर्ग करने और शिकायत िजग करने के शए पिक्लि

ववशववदयाििय ऐसे ििोगों को, जो यौन दंडु यवहार का अनभु व करते हैं, दुरु ाचार की ररपोर्य करने के शिए, सहायता िेने

और अपने ििुद और उस पूे पररसर समुदाय के शिए संरक्षण कर शिए ववशववदयाििय से कारयवाई की मांग के शिए दृढ़ता

से प्रोत्साहहत करता है। जब एक ार कथत यौन हार का पता चिा है, तो उसे ऑफिस ऑफ शसववि कमच दंडु यव राइट्स

और राइर्ि IX को सभू चत करना चाहए। ऑफिस ऑफ शसववि राइट्स और राइर्ि IX यौन दंडु यवहार

प्रक्रिया के

समन्वय के लिए सूचक है।  
यौन दुःख

हजार की परभाषा के लिए, कृ  
पया यौन दुःख

हजार 06-05-01 पर नीयत  
देते हैं।

जिसने यौन दुःख यवहार का अनुभव किया है, वह इस व्यवस्थापकीय प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के साथ-साथ

आपराधिक प्रक्रिया को भी चुन सकता है। हालांकि व्यवस्थापकीय या

आपराधिक कार्रवाई को नहीं चुनने से व्यवस्थापकीय की जांच करने और/या

कार्रवाई करने की सूचक नहीं हो जाती है। यह कोई

आपराधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कृपया, आपातकालिन जांच-पड़ताल कक्ष/साक्ष के संरक्षण, जो भी विभाग हो, पर जानकारी प्राप्त करने के लिए [www.share.pitt.edu/get-help](http://www.share.pitt.edu/get-help) पर जाएं।

व्यवस्थापकीय यनष्पक्षकार और समय पर यौन दुःख यवहार की शिकायतों को हल करने का इरादा रखा है।  
बहरहाल,

यौन दुःख यवहार की सभी रिपोर्टों में औपचारिक शिकायत या न्यायिक परामर्श का नतीजा नहीं होती है।  
शमसाहति के तौर पर

कुछ पीड़ित के विषय और संसाधन चाहते हैं, और शिकायत शुरू करने की इच्छा नहीं रखते हैं।  
जहां एक शिकायत

प्रस्तुत की जाती है, वक्शववदय्याय आम तौर पर शशकायत दर्य क्रकए जाने से िेकर साठ (60) हदनों के भीतर शशकायत को ह्ि करने का प्रयास करता है। यहद शशकायत के पररणाम परअपीयि की जाती है, तो वक्शववदय्याय आमतौर पर क्रकसी भी अपीयि का समयबदयि यनियण करने का प्रयास करता है। बहरहायि, कमतर या कहं अधिक जहरयि पररत्थयतयां यहां बताई गई समय-सीमा के भीतर शशकायत का समाियन करने से वक्शववदय्याय को रोक सकती हैं।

ऑक्रफ़स ऑफ़ शसववि राइट्स और राइरि IX इन समयसीमाओं के क्रकसी भी यथोचत वक्स्तार के साथ इसका समाियन करेगा। शशकायतकतायों और प्रतवाहदयों को प्रक्रिया की ल्थयत के अनुसार आवधयिक अपडेर प्रदान क्रकया जाएगा।

#### A. पीडडत के शिए

यहद आप यौन दुु यवहार या हहसा की ररपोर्य करना चाहते हैं तो बहुत सारे वक्कल्प उपयिबि हैं:

1. यहद कोई अपरायि हु आ है, तो आप वपर पुयिस (वपट्सबगय पररसर के शिए 412-624-2121; क्षेत्रीय पररसर पुयिस ववभागों के शिए सपक्य जानकार पररशशप्र A में सूचीबदयि है) से सपक्य करके एक आपराधयिक शशकायत दर्य करा सकते हैं। आप स्थानीय पुयिस ब्यरू ो या ववभाग से सपक्य करने के शिए 911 पर कॉयि क्सकते हैं।
2. आप वपट्सबगय पुयिस ववभाग की वेब साइर ([www.police.pitt.edu](http://www.police.pitt.edu)) पर एक गुमनाम रह कर शशकायत दजय कर सकते हैं। बहरहायि, यह वक्कल्प ररपोर्य का जवाब देने और उसकी जांच करने की वक्शववदय्याय की क्षमता को बहुत सीशमत करता है।
3. यहद कथत हमियवर वपट्सबगय वक्शववदय्याय का छात्र है, तो सभी वपर छात्र, फ़ै कलर् और सर्ाफ़ वक्शववदय्याय के छात्र आचरण काययिय (412- 648-7910, 738 वक्शियम वपर यरू नयन; क्षेत्रीय न्यायक मामियों/छात्र आचरण के काययियों की सपक्य जानकार पररशशप्र A में है) के माध्यम से शशकायत दजय कर सकते हैं। यौन उत्पीडन की शशकायतों को दजय करने और संसाधयित करने से संबंधित चरणों की रू परेियिा सर्ू डेर कोड ऑफ़ कं डतर तैयार करती है।
4. आप जांच के शिए वक्शववदय्याय के ऑक्रफ़स ऑफ़ शसववि राइट्स और राइरि IX (412- 648- 7860) में शशकायत दजय कर सकते हैं। क्षेत्रीय पररसरों के ल्यलत अपने स्थानीय शसववि राइट्स और राइरि IX सपक्य काययिय से भी शशकायत दजय कर सकते हैं। संपक्य जानकार के शिए पररशशप्र देियेें।
5. वक्शववदय्याय समुदाय के सभी सदस्य Pitt Concern Connection (800-468-5768 या [pi.tt/concern](http://pi.tt/concern)) पर गुमनाम शशकायतें दजय कर सकते हैं।

वक्शववदय्याय और सामुदायक संसाधयिनो की स पररशशप्र B देियेें।

ी के शिए पररशशप्र A देियेें। गोपनीयता की जानकार के शिए

#### B. अशयुतत के शिए

उन अशयुततों को पता होना चाहए क्रक वक्शववदय्याय की क्रकसी भी कारयवाई की शुरुआत

आपराधिक आरोपों की संभावना केसमाप्त नहं करती है। दरअसल, समानांतर वक्शववदयाय और आपराधिक कारयवाई असामान्य नहं है। इन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के अिावा, ा सहहत यौन हार को रोकने के प्रयास में छात्रों, फै कलू और स्फ़ा के वक्शववदयाय यौन हहस दू यव शिए रोकथाम कायमों को करना और उन्हें प्रशक्षण में िगाए रिना जार रिगा।

यौन दू यवहार की कधत घर्नाओं की जांच में शशमि कसकी के खििाफ़ प्रयतशोि यनवषद्वि है, चाहे वे कसकी र्वलतत, एक गवाह, एक कसकी जांचकताय या कसकी और का उल्िेि कर रहे हो या न कर रहे हों। जांच क्रिया में

शाशमि सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रक्रिया की गोपनीयता और इसमें शाशमि जानकार का सम्मान करें।

यौन दंडु व्यवहार की कसौ घर्ना के बाद कभी भी ररपोर्य सबशम की जा सकती है, हांकिंकरक ववश्ववद्यािय की कारयवाई करने की क्षमता ररपोर्य की समयबद्धिता और कथथत प्रयतवाद अभी भी ववश्ववद्यािय समुदायकसदस्य है या नहं, के आार पर सीशमत हो सकती है।

C. लूम्मेदार कमचार (फै कलर् और सर्ाफ़) या दूसर बोडय के सदस्यों से सहमत यौन दंडु यव ल्केबारे में जानने वांछितों के शिए

जब कसौ लूम्मेदार ार को कथथत यौन हार ा (जैसा क यौन हार नीयत 06-05-01 की कमच दंडु यव या हस दंडु यव

िारा VII. में और <http://www.share.pitt.edu/confidentiality> में परभावत कया गया है)

के बारे में पता चिता है, लसमें ववश्ववद्यािय समुदाय का कोई सदस्य

शाशमि है, तो उसे चाहए:

1. एक लूम्मेदार कमचार के रूप में, आपको ववश्ववद्यािय के ऑफिस ऑफ शसववि राइट्स और र्ाइर् IX से

तुरंत सपक्य करना होगा (<https://www.diversity.pitt.edu/civil-rights-title-ix-compliancecontact>

क्षेत्रीय र्ाइर् IX संपक्य के शिए जानकार परशशप् A में है)। यह आपको िगता है

क कसौ के शिए आसन्न नुकसान का ितरा है, तो आपको ववश्ववद्यािय पुरिस

ववभाग से भी सपक्य करना चाहए। हरेक वपर परसर पुरिस ववभाग की सपक्य जानकार के

शिए परशशप् A दे िें। आप स्थानीय पुरिस ब्यरू ो या ववभाग से सपक्य करने के

शिए 911 पर कॉ ि कर सकते हैं।

2. पीइतों को उनके वकलों के बारे में अवगत कराएं जैसा ऊपर ए ("पीइतों के शिए") में सीबद ि है

3. शुरू में ह पीइत के साथ बातचीत में समझाएं क आप इस घर्ना की शसववि राइट्स और

र्ाइर् नागरक अधिकार IX काययिय को ररपोर्य करने के शिए बाध्य हैं और आप

एकदम से गोपनीयता बनाए नहं रि सकते। गोपनीयता के बारे में अधिक जानकार के

शिए, परशशप् B दे िें।

4. यह पीइत कसौ ऐसे व्यक्त के साथ बात करना चाहता है जो पूणय गोपनीयता (तिेर एतर

के तहत एक अयनिररत िाइम ररपोर्य दर्य करने के अिवा) बनाए रि सकता है,

तो वह पीइत को गोपनीय संसांिनों जैसे

ववश्ववद्यािय परामशय काउं सेंर) से 412-648-7930 पर या बिात्कार के

कें र (यकू नकसर

सेशिंग

खिाफ़

वपट्सबगय एतशन (वपट्सबगय एतशन अगेंस् रेप, PAAR) में भेज सकता है।

ववश्ववद्यािय और सामुदायक

संसांिनों की सी के शिए परशशप् A दे िें

5. यह पीइत आपको बताना चाहता है क तया हु आ है, िेकन यह भी गोपनीयता बनाए रिनना चाहता है, तो

पीइत को सूचत करें क एक लूम्मेदार कमचार के रूप में, आपको ऑफिस ऑफ शसववि राइट्स

और र्ाइर्

IX को घर्ना की ररपोर्य करना होगा और आप इस बात की गारं नहं दे सकते क

गोपनीयता के शिेँए अनुरोिेँ का ववश्वववदय्ािेँय सम्मान करने में सक्षम होगा,  
िेँकन यह ऑफ़िस ऑफ़ शसववि राइट्स और र्ाईरिेँ IX

स ना को उस हद तक गोपनीय रिगा लजतना कान द्वाारा उसे ऐसा करने की अनुमू यत है और यह  
सुपनश्चत

करेेँ क यह के वि उन िेँोगों के साथ साझा ककया जाए लजन्हेेँ जानने र्ूर है।

6. यहद पीडडत आगे आता है, तो सहानुभू त के साथ सुनेेँ। यहद उधचत हो, तो पीडडत को मदद,  
परामशय या

धचकत्सा सहायता िेँेने के शिए और/या छात्र आचरण काययिय (स्रू डेेँर कन्डतर्  
ऑफ़िस), ऑफ़िस ऑफ़ शसववि राइट्स और र्ाईरिेँ IX या मानव संसािेँन से सपकय करने  
के शिए प्रोत्साहहत करेेँ, िेँकन दबाव न

डािेँेँ। यहद कोई अपरािेँ हो गया है, प्रवतन से सपकय करने के शिए प्रोत्साहहत करें ताकक  
तो पीडडत को कान

भववषय में ल्थयत का पता िेँगाया जा सके और इसे रोक़ा जा सके। उस वयलत से ककसी भी तरह की  
तत्कािेँ

र्ूरतोेँ के बारे में प ेेँ।

7. पीडडतों को संसािेँनों के बारे में जानकार प्रदान करेेँ (पररशशप् A दे िेँेँ)।



<http://keepkidssafe.pa.gov/> यह भी देखें: [http://www.hr.pitt.edu/protecting- children/faqs](http://www.hr.pitt.edu/protecting-children/faqs)

### III. जांच और समाधान प्रक्रियाओं को समझना

एक बार यौन दंडु व्यवहार<sup>1</sup> की ररपोर्य आने के बाद, ववश्वववदय्यािय उधवत कारयवाई करने के शिए जांच करेगा। जांच करने, सहयोग करने के शिए दबाव डाने या उन िोगों के ििाफ, जो ववश्वववदय्यािय समुदाय के सदस्य नहं हैं, प्रयतबंि िगाने का अधिकार ववश्वववदय्यािय के अधिकार को है। िफर भी, ववश्वववदय्यािय उधवत कारयवाई करने का प्रयास करेगा। अतथ वयाख्याताओं, स्वयंसेवकों, ठेकेदारों और आगंतुकों के ििाफ शशकायतों की जांच और यथोचत कारयवाई के शिए ऑफिस ऑफ शसववि राइट्स और राइरि IX को भेजा जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत जांच करते समय, ववश्वववदय्यािय का प्राथमक ध्यान यौन दंडु व्यवहार पर केें हत करने पर होगा।

पाए गए अन्य नीयत उल्िंघनों की मामि को अन्य प्रक्रिया के शिए भेजा जा सकता है।

#### A. प्राथमक जांच

ऑफिस ऑफ शसववि राइट्स और राइरि IX को हार की स ना शमि जाने पर एक जांचकताय यौन दंडु यव

("जांचकताय") उसकी करेगा। जहां प्रयतवाद (यानी, ार है, वहां ऑफिस ऑफ प्रारंशभक जांच अभयुतत) एक कमच

शसववि राइट्स और राइरि IX अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेषक, लम्मेदार केें के प्रमु ि या पदाधिकार के साथ

प्रारंशभक प ताछ का समायोजन करेगा। अन्य सभी मामिों के शिए, जांचकताय एक प्रारंशभक जांच करना जार

रिगा, लजसमेें आम तौर पर शशकायतकताय, प्रयतवाद, अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेषक, लम्मेदार केें के प्रमु ि यपदाधिकार के साथ साक्षात्कार और कभी-कभी प्रासंधगक दस्तावेजों की समीक्षा शाशमि हैं।

इसके बाद जांचकताय यह यनियारत करेगा क एककत की गई जानकार यह सधू चत करती है या नहं क शशकायत

नीयत के आती है। यहद यह यनियारत हो जाता है क शशकायत आती है, तो जांचकताय यह अंतगत नीयत के अंतगत

यनियारत करेगा क प्रक्रिया को अनौपचारक प्रक्रिया, औपचारक प्रक्रिया या कसी ववश्वववदय्यािय की अन्य प्रक्रिया के शिए आगे बढनी चाहए या नहं। जांचकताय कई कारकों की समीक्षा करके इसे यनियारण करेगा:

1. शशकायतकताय और प्रयतवाद की इच्छा;
2. र्वयवहार के एक पैर्य का महत्व; और
3. र्वयवहार या कायय की प्रकृत और गंभीरता।

इसके बाद शशकायत का समािान करने के शिए यथोचत अगिे कदम के रूप मेें एक फै सिा कया जाएगा, लजसमेें यनमनशिखित मेें से एक शाशमि होगा:

1. औपचारक प्रक्रिया;
2. अनौपचारक प्रक्रिया;
3. ववश्वववदय्यािय की अन्य प्रक्रिया; या
4. प्रक्रिया समाप्त।

प्रारंभिक पताछ समाप्त होने पर जांचकताय की ओर से शिकायतकताय और प्रत्यवाद को तरुं त सभू चत क्रकया जाएगा।

यहद यह पाया जाता है क्रक ररपोर्य क्रकये गए मामि की शिकायत नीयत के अंतगत नहं आती है और जांच के दौरान

पाया गया क्रक यह अन्य संभावत नीयत उल्िंघनों (क्रकसी भी प्रासंधगक नहं आता है, तो जानकार सहहत) के अंतगतसे ववशववदयाििय की अन्य क्रियाओं के शिए भेजा जा सकता है।

---

<sup>1</sup> जैसा क्रक नीयत CS 20 के अनुच्छेद में उल्िखित है, यहा वखणत क्रकसी भी यनवषद्वि आचरण की सीमा तक अन्यथा नीयत CS 27, र्ाइरि IX के तहत ववशेष रूप से पररभावषत "यौन उत्पीड़न" माना जाएगा, इस तरह के सभी आचरण नीयत CS 27 और इसकी क्रिया केतहत संबोधित क्रकए जाएंगे। "यौन उत्पीड़न" का कोई संदभय यहां के वि उस शब्द से संबद्वि है जैसा क्रक इस नीयत और क्रिया के तहत इसे शिया गया है।

## B. ववश्ववदद्यायि के अंतररम उपाय या कारयवाई

प्रारंशभक ताछ करने के अिावा, जांचकत को हार की शशकायत में शाशमि वयलततयों की सुरक्षा पछ यौन द्यु यव

और कल्याण की रक्षा के शिए अंतररम कारयवाइयों या उपायों के कायायन्वयन की सकु विया मुहैया करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें शाशमि िोगों की सुरक्षा के शिए ववश्ववदद्यायि जो भी उपयुत हो या

कान ि रूप से हो; अंतररम या उपचारात्मक उपायों पर ववचार करेगा। इन उपायों को यथासंभव शीघ्र समथत

ियागू क्रकया जाएगा। आम तौर पर, ऐसे कायों में यनमनखित शाशमि हैं, िे क्रकन इतने तक ह सीशमत नहं हैं:

1. प्रयतवाद को सधू चत करेंं क्रक उसके खिाफ़ शशकायत की गई है;
2. दोनों पक्षकारों को नीयत की एक प्रयत प्रदान करें;
3. कोई सपक्य आदेश दजय नहं करने के शिए अध्यक्ष, डीन, पयवेक्षक, लम्मेदार कें ड्र के प्रमु िे, या पदाधिकारै साथ काम करेंं। कोई भी सपक्य नहं करने के आदेश के साथ सहयोग करने या इसका सम्मान करने में ववफिता के पररणामस्वरूप पररसर में पक्षकार की उपलस्थयत और अन्य अनुशासनात्मक कारयवाई को प्रयतबंधित क्रकया जा सकता है;
4. प्रक्रिया के िंत्रबत रहने के दौरान सुरक्षा मुद्दों तथा शशकायतकताय और प्रयतवाद की धचताओं पर ववचार करते हुए जैसा भी संभव और यथोचत हो; संस्थान वैकल्पक कायय वयवस्था, रहने की वयवस्था, भोजन की सुखिया, कक्ष का शेड्य या सियाहकार/पयवेक्षक वयवस्था करता है;
5. छात्रों के शिए, उपयुत शैक्षक सहायता प्रदान करना, न या क्रकसी कक्षा या कक्षाओं जैसे क्रक ट्य से वापस िे जाने या िाने की अनुमपत देना;
6. हरेक पक्षकार और कोई भी गवाह हो, तो वह इस प्रक्रिया में उल्लिखित गोपनीयता की अपेक्षा को स्वीकार करता है;
7. सभी पक्षकारों और कोई गवाह हो तो उन्हें साह दें क्रक वे यौन द्यु यवहार की शशकायत में शाशमि क्रकसी भी पक्षकार या क्रकसी भी गवाह के खिाफ़ प्रयतशो िे की कारयवाई न करेंं।
8. शशकायतकताय और प्रयतवाद के अधिकारों की उपयुतत के रूप से प्रबं िेन में सहायता करने के शिए शशकायत के बारे में अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेक्षक, लम्मेदार कें ड्र प्रमु िे या पदाधिकार को सधू चत करें।

ववश्ववदद्यायि को अंतररम अिगाव या यनबिंबन िेगू करने का अधिकार है, जो ववश्ववदद्यायि के अन्य हैंडबुक, नीयतयों या प्रक्रियाओं या सू डैर् कोड ऑफ कं डतर् के अनुरूप है।

## C. जांचकताय की भूमका

जैसा क्रक ऊपर हदए गए प्रारंशभक प ताछ अनभु ाग में कहा गया है, ज्यादातर मामिों में, जांचकताय अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेक्षक, लम्मेदार कें ड्र के प्रमु िे, या पदाधिकार के साथ शमि कर प्रारंशभक प

ताछ करेगा। जहां सूडरें

कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मामला आगे नहीं बढ़ता है, और जहां प्रारंभिक पताछ इंतजाम करती है कि आरोप सह

नीयत के तहत आते हैं, तो जांचकताय की भूमिका आम तौर पर, अंतरिम उपायों के साथ

सहायता करने के लिए और/या शिकायत की एक त्वरित और गहन जांच करने के लिए पक्षकारों को

संसाधन संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी। अधिकांश जांच में गवाहों की

पहचान करना और उनका साक्षात्कार करना, प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करना और अन्य प्रासंगिक

जानकारी की पहचान करना शामिल है।

चिं रह जांच की संख्या और/या शिकायत की प्रकृत और जहर्ता के आधार पर, ऑफिस ऑफ़ सविवि

राइट्स एंड रीडरिंग IX जांच कर सकता है या यथोचित रूप से प्रशस्त जांचकताय को

मामला सौंप सकता है।

वक्शववदय्याऱिय समुदाय के सभी सदस्योँ को सहयोग करने और प ताल और जाँच मेँ भाग ऱिने के शिए

प्रोत्साहहत क्रयया जाता है, जो अनुरोऱि के अनुसार सुनवाई पैनि के समक्ष पेश होते हैँ, और शशकायतोँ केसमाऱिान और ऱिागू क्रण गए प्रतबंिों के कायायनवन मेँ सहयोग करते हैँ। सूडूडेँर कोड ऑफ कं डतर केअनुसार, छात्रों को इसमेँ सहयोग करने और भाग ऱिने की आवश्यकता हो सकती है।

D. औपचारक प्रक्रिया के ररए नीयत के उलऱिंघन का पता ऱिगाने मेँ वक्शववदय्याऱिय की भू मका

वक्शववदय्याऱिय ऐसे मामिों मेँ नीयत के उलऱिंघनों को संबोधित कर सकता है लजसमेँ शशकायतकताय शशकायत करने को तैयार नहं है और वक्शववदय्याऱिय यह तय करता है क्र नीयत के तहत औपचारक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। वक्शववदय्याऱिय समुदाय का कोई भी सदस्य सूडूडेँर कोड ऑफ कं डतर प्रक्रिया या यहां बताई गई प्रक्रिया के ररए आगे बढ़ सकता है। फ्राइऱि करने वाऱिे पक्षकार के पास वह अधऱिकार और त्ममेदारया होंगी जो शशकायतकताय को होंगी, जैसा क्र इस प्रक्रिया या सूडूडेँर कोड ऑफ कं डतर मेँ उलऱिंखित हैँ।

#### E. The Informal Process

अनौपचारक प्रक्रिया जागरूकता, शशक्षा और/या एक सहूऱियतपूणय चचाय के ररए शशकायत का समाऱिान करने का एक अवसर है। ऑक्रफस ऑफ शसववि राइट्स एण्ड र्ाइरऱि IX अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेक्षक, त्ममेदार केँ ड्र के प्रमुऱि या पदाधिकार या मानव संसाऱिन कायायिय के साथ शमऱिकर अनौपचारक प्रक्रिया का समन्वय करता है। एक अनौपचारक प्रक्रिया के दौरान कोई औपचारक जाँच नहं की जाती है, यह यनऱियायत करने के शिए क्र नीयत का उलऱिंघन क्रकया गया है या नहं।

अनौपचारक प्रक्रिया का उपयोग के वि कथत दु, यवहार के शिए क्रकया जा सकता है, लजसमेँ यौन हमऱिा या

हहसा शाशमऱि नहं है

शशकायतकताय को अनौपचारक प्रक्रिया को समाप्त करने और औपचारक प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, बशते शशकायतकताय ऐसा करना चाहता है।

1. चरण 1: सहूऱियतप य समाऱिान

छात्र आचरण अधऱिकार, अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेक्षक, त्ममेदार केँ ड्र के प्रमुऱि या पदाधिकार या मानव

संसाऱिन कायायिय के साथ शमऱिकर जाँचकताय प्रारंशभक प ताल के दौरान एकऱत जानकार का उपयोग करता

है; तक्रक शशकायत का उधत समाऱिान क्रकया जा सके। जाँचकताय यह यनऱियायत कर सकता

है क्र अनौपचारक प्रक्रिया एक उपयुतत पदाधिकार (शमसाऱि के तौर पर छात्रों के शिए,

एक आवासीय संयोजक या अन्य

पदाधिकार; सूफ्रा के शिए, एक मानव संसाऱिन प्रतयनऱि; फैं कलर् के शिए, अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवेक्षक,

त्ममेदार केँ ड्र के प्रमुऱि या पदाधिकार; ट्स के शिए ऑक्रफस ऑफ शसववि राइट्स एण्ड

रूइरू IX) के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।

यनमनशिखित संभावित वकल्पों की शमसांठिें हैं, लजनमें से एक या एक से अधिक का उपयोग अनौपचारिक शशकायत के समांठिान के शिए क्रकया जा सकता है।

- a. प्रयतवाद और/या शशकायतकताय और/या उस ववभाग या क्षेत्र को लजसके वयवहार पर सवांठि उठाय़ा जरहा है, उसे नीयत की एक प्रयत ववतररत करें;
- b. नीयत के बारे में प्रयतवाद या सभी पक्षकारों को शशकत करना;
- c. नाशमत ववभाग/स्कू ठि/ववश्ववद्य़ाठिय संस्थान के हार शैक ठाठिा का शिए एक यौन दंडु यक्षंठाठिन करना;

- d. कथित अनुचित व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यववहारीय के संभावित पररणामों के बारे में नोहरस प्रदान करने के लिए प्रयत्न से शक्ति;
  - e. शक्यतया, प्रयत्नवाद और जांचकता के समझौते के साथ सहूलियतपूर्ण चर्चा की गई;
  - f. जहां तक संभव हो, संस्थान वैकल्पिक कायव्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कक्षा शैक्षिक, भोजन की सुविधा या सहायकार/पर्यवेक्षक की व्यवस्था;
  - g. दृष्टान्त, या एक कक्षा या कक्षाओं में होने या वापस होने जाने की अनुमति प्रदान जैसे उपयुक्त शैक्षिक सहायता पहुंच प्रदान करें; और/या
  - h. संपर्क सीमित करें या प्रयत्नवाद और शक्य

## 2. चरण 2: अनौपचारिक समझौते का दस्तावेज़

अनौपचारिक प्रक्रिया के समापन पर, जांचकता द्वारा शक्यतया और प्रयत्नवाद और अन्य उपयुक्त व्यववहारीय के अधिकारियों को प्रक्रिया के पररणाम(मों) का संारांश पत्र भेजा जाएगा।

यह मामला शक्यतया की संतुष्टि या अनौपचारिक प्रक्रिया का उपयोग करने वांछित प्रयत्नवाद द्वारा ही नहीं किया जाता है, और/या ऑफिस ऑफ़ शसवि राइट्स एण्ड रीडरशिप IX यनियरत करता है कि मामले को

औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, तो शक्यतया, प्रयत्नवाद और/या व्यववहारीय औपचारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे उदाहरण में, शक्यतया, प्रयत्नवाद और/या व्यववहारीय अनौपचारिक पररणाम पत्र प्राप्त होने की तारीख के पांच (5) व्यावसायिक हदों के भीतर जांचकता को एक लिखित अनुरोध सबमिट करके औपचारिक प्रक्रिया का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।

### F. औपचारिक प्रक्रिया

यौन दुर्व्यवहार की शक्यतयों की औपचारिक प्रक्रिया काफ़ी हद तक प्रयत्नवाद (यानी, अभयतु त) की पहचान पर

यनभर करती है। यनमनलिखित सामान्य यनयम लागू होते हैं, हालांकि व्यववहारीय की जर्नलि और कभी-कभी

कई भू-मकाओं वांछित िोग के कारण व्यववहारीय लागू किए जाने वांछित यथोचित प्रक्रिया यनियरत करने के लिए

व्यवके का सहारा देता है। इसके अलावा, ऑफिस ऑफ़ शसवि के अनुरूप, सुनवाई या राइट्स के मागदशबोडों के सदस्य छात्र नहं होंगे। अपील

#### 1. छात्र प्रयत्नवाद के लिए

जहां प्रयत्नवाद पक्ष एक छात्र है, औपचारिक प्रक्रिया को सू-डैर कोड ऑफ़ कन्डर् में बताई गई मौज ा प्रक्रिया द्वारा यनयनित किया जाएगा। वतमान प्रक्रिया हमेशा लागू होगी और यह सवस्तर student [conduct.pitt.edu](http://conduct.pitt.edu) पर पाया जा सकता है।

जांचकता कभी भी ऐसी प्रक्रिया के दौरान, व्यवहार के लिए सू-डैर कोड ऑफ़ कन्डर् की प्रक्रिया के दौरान

प्रारंभिक पताछ में एकत्रित या प्रस्तुत किए गए तकसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकता है इसके अतिवा,  
जहां प्रयतवाद पक्षकार एक छात्र है, जांचकताय सूडेर कोड ऑफ कन्डर के तहत आगे बढ़ सकता है और कोड प्रक्रिया में एक गवाह के रूप में कायय कर सकता है।

2. ऐसे प्रयतवाद के शिए जो हैं: फैं कलर, सर्ाफ़, पोसर्-डॉतरि एसोशसएर्/स्काँरि, ररसचय एसोशसएर्,

अनुबंरि कमचार या रूसर् बोडय के सदस्य

ऑक्रफ़स ऑफ़ शसववि राइडस एंड राइरि IX, सूडू डेरंर कं डतर ऑक्रफ़स के साथ शमरि कर अध्कष,  
डीन, यनदेशक,

सुपरवाइजर, त्रुमेदार केंर के प्रमुरि या पदाधरि कर, गवाह का साक्षात्कर शाशमरि करने और अन्य सब ां की

समीक्षा करने के लिए जांच करेगा। जांच का कायम यह निर्धारित करना है कि नीयत का उल्लंघन किया गया है या नहीं और/या उपयुक्त अनुमोदन की अनुशंसा की गई है या नहीं।

जांचकताय यह दशापते हुए कि नीयत का उल्लंघन हुआ है या नहीं और नीयत में परभावत यौन दुर्व्यवहार का प्रकार और इस निष्कर्ष का कारण तथा अनुशंसा प्रयत्न (यह दिागू हो) इन निष्कर्षों की एक ररपोर्य बनाएगा।

अगर जांच यह स्थापित करती है कि नीयत का उल्लंघन सब ाओं के बहतु यत के कारण हुआ था, तो जांचकताय

और

उपयुक्त प्रशासक अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवक्षक, र्ममेदार केेंद्र के प्रमुि या पदाधिकार के अनुमोदन के

लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अनुशंसा प्रयत्नों का निाकरण करेगा। प्रयत्न अपराि और/या वववदयि

नीयत के प य उल्लंघनों की प्रकृत और गंभीरता पर आारित होंगे। जांचकताय शकयतकताय और प्रतवाद को

एक निष्कर्ष पत्र वतरत करेगा, उसी समय में या उसी समय के आसपास, जो भी संभव हो, और एक ररपोर्य अध्यक्ष, डीन, यनदेशक, पयवक्षक, र्ममेदार केेंद्र के प्रमुि या पदाधिकार को भी भेजेगा। इस ररपोर्य की एक प्रत ऑफिस ऑफ़ शसवि राइट्स एण्ड र्ाइरि IX या अन्य उपयुक्त कायायि में फाइरि पर रिी जाएगी।

जांचकताय अपीि या निाकरण और/या अनुमोदन के बारे में शकयतकताय और प्रतवाद को भी सूचित

करेगा, जैसा कि ारा IV, हैंडिशिग अपीि में हदया गया है।

शकयत क्रिया पर होने तक प्रयत्न नहीं िगाए जाएंगे, जब तक कि परणाम की अपीि के लिए समय नहीं निकलता है या जब तक कि ऐसी क्रिसी अपीि के संबंध में कोई निाकरण नहीं क्रिया जाता है, इसके समेत, जो भी िागू हो।

#### IV. अिल हैंडिलर

अपीि क्रिया प्रतवाद (यानी, अभयुत) की करती है। पहचान पर नभर

##### A. छात्र प्रतवाद के लिए

जहां प्रतवाद पक्षकार एक छात्र है, वहां अपीि क्रिया र् डेेर् कोड ऑफ़ कन्डतर् में बताई गई मोज ा क्रिया

द्वारा नयत्त की जाएगी। क्रिया वस्तत है और [student.conduct.pitt.edu](http://student.conduct.pitt.edu) में पाया जा सकता है। मोज

##### B. फै कलर् या र्राफ़ प्रतवाद के लिए

जहां प्रतवाद पक्षकार फै कलर् या र्राफ़ सदस्य है, वहां र्वयसाय और संचािन के लिए प्रोवोस् या सीनयर वाइस चांसिर को कोई अपीि की जानी चाहए।

ऐसे मामलों में जहां वक्ववदयानिय बायॉज के तहत प्रक्रिया में अनुशंसित अनुशासन के कारण, समय से पहले नियुक्त की समालत शासमि है, और यह अपीलि प्रक्रिया नहं है, वहां यह िागू होती है। बहरहालि, ककसी भी िागू कान के तहत ठोस और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं िागू रहती हैं, वहां यह िागू राहत है

अन्य मामलों में, प्रोवोसर् या सीनयर वाइस चांसलि र तीन (3) वलततयों की अपीलि बोडय की नियुक्त करेेंगे। अपीलि

बोडय के दो सदस्य फै कलर् के होंगे, जो यकू नवसर् ररखू बोडय ("URB") के सदस्य होंगे; तीसरे सदस्य को प्रोवोसर् या

वाइस चांसलि र द्वारा बहुत सारे वलततयों में से नियुक्त ककया जाएगा, लनहोंने ऑकफ़स ऑफ़ शसववि राइट्स एण्ड र्ाइरि IX से यथोचत प्रशक्षण प्राप्त ककया है और इसमें शासमि पक्षकारों की नियुक्त त्थपत के अनुरूप होगी।

ऑकफ़स ऑफ़ शसववि राइट्स के मागदशन के अनरूपु , छात्र सुनवाई या अपीलि बोडों के सदस्य नहं होंगे।

शिखित ननणय की प्राप्त के दस (10) हदनों के भीतर प्रोवोसर् या वाइस चांसलि र के कायायिय में अपीलि सबशमर्

करनी होगी और अपीफि के शिए आिार यनहदयप्र करना होगा। अपीफि बोडय मामि के त्यों की क्रफ से सुनवाई या पुनयनयिायरण नहं करेगा, बल्लक के वि इस बात की समीक्षा करेगा क्र यनणय तीन सीशमत आिारों में से एक से भर्का है या नहं, लजस आिार पर अपीफि दायर की जा सकती है, जो क्र इस प्रकार हैः

पर काफी

1. जांचकताय के शिए नई जानकार उपिबि नहं है, जो यहद जांच के समय उपिबि है, तो इससे यनणखसर पड़ेगा;
2. ऐसे साक्ष लजसमें स्थावपत क्रियाओं का पाफिन नहं क्रकया को महत्वप य रूप से प्रभाववत गया था, वह यनणकरेगा, और/या;
3. उल्िंघन की गंभीरता को देिते हुए प्रयतबंि काफी हद तक असंगत है।

अपीफि बोडय यह यनयिायरत करता है क्र अपीफि, अपीफि के शिए सबशमर् ररपोर्य और प्रयतबंिों की समीक्षा और अन्य संबंधित दस्तावेर् या वततर्वय तीन आारों में से क्रकसी एक के अंतगत आती है या नहं।

आम तौर पर, अगर एक अपीफि बोडय को िगता है क्र अपीफि इन क्रकसी भी आिार पर मान्य है #1 (पयापत नए सबूत

उपिबि नहं थे जो यनणय को प्रभाववत करते) या #2 (साक्ष स्थावपत करने वाि क्रियाओं को इस तर के से

अनुमपत नहं द गई थी लजससे यनणय प्रभाववत हो), अपीफि बोडय करने के शिए अपीफिकताय इस समस्या को जांचकताय और उपयुतत प्रशासक को वापस भेज देगा। को

जैसा क्र अपीफि आिार #3 (उल्िंघन की गंभीरता को देिते हुए प्रयतबंि पयापत रूप से असंगत था), अपीफि बोड

मौज ा शिखित ररकाँडय की समीक्षा के आिार पर यनष्कषय और प्रयतबंि के बारे में प्रोवोस्र् या वाइस चांसिर् के पास

जाने की शसफाररश करेगा। एक ऐसा प्रयतबंि, जो शुरुआती शसफाररश की तुफिना में अधिक या उससे कम है, समेत, अपीफि बोडय द्वारा सुझाया गया प्रयतबंि, जांच के बाद िगाए गए प्रयतबंि ह तुफिना में अिग हो सकती है।

आम तौर पर, अपीफि बोडय को तीस (30) हदनों के भीतर अपना काम पू ा करना चाहए।

प्रोवोस्र् या सीयनयर वाइस चांसिर् अपीफि बोडय की शसफाररश की समीक्षा करेंगे और अंयतम यनणय देेंगे। उस

यनणय को प्रयतवाद, शशकायतकताय, जांचकताय और उपयुतत प्रशासकों को शिखित रूप में सभू चत क्रकया जाएगा

(जैसे, प्रयतवाद का उपयुतत लजममेदार केंद्र प्रमुि को)।

प्रोवोस्र् या सीयनयर वाइस चांसिर् अपीफि बोडय से शसफाररश प्राप्त करने के तीस (30) हदनों के भीतर जवाब देेंगे। सीयनयर वाइस चांसिर् का यनणय हो अंयतम होगा।

## V. िररशिर् A: पिशिपिदयालय और सम ायक सांसाधन (यूपनिसगर्ी एंि कम्युनर्ी ररसोसेज़)

### A. तमाम पररसर के शिए ववशववदयििय संसाििन

[ऑफ़िस ऑफ़ शसवर्षी राइड एण्ड](#)

[राइडि IX क](#)

[titleixcoordinator@pitt.edu](mailto:titleixcoordinator@pitt.edu)

ऑफ़िस ऑफ़ डायएण्ड इंटिुशन

(ववर्षिता और समावेश का कायायिय)

18<sup>th</sup> Floor, Cathedral of Learning

4200 Fifth Avenue

Pittsburgh, PA 15260

412-648-7860 (सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक, सोमवार से शुवार)

लाइफ सोल्य न फॉर फै कलूी एण्णि स्राफ़  
<http://www.hr.pitt.edu/lifesolutions>

B. पिट्सबर्ग िररसर के शलए अयतररक्त सांसाधन

छात्रों के शलए पिशुिपिदय़ालय

िरामिगि के ंद्र कल्याण के द्र

2nd Floor, Nordenberg Hall

412-648-7930 (सोमवार-शु िवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) 412- 648-7859  
(व्य़ावसायक घंरों के खाद)

छात्र सिसुय से िा

कल्याण के द्र

2nd Floor, Nordenberg Hall

412-383-1800 (सोमवार, मंगिवार, गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक;  
बु िवार, शु िवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक  
शयनवार सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, शसपय फॉ ि/स्प्रंग के दौरान

ऑफ़िस ऑफ़ स्टू िे र कन् िक

738 William Pitt Union

412-648-7910 (सोमवार-शु िवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

यू निसुस िी ऑफ़ पिट्सबर्ग िु लस डि ििारगमे र

3412 Forbes Avenue

412-624-2121 (आपातका िि न, गैर-पररसर फोन) 412-624-4040 (गैर-आपातका िि न नंबर)  
<http://www.police.pitt.edu>

ऑन कै ं िस आ िातकाल

412-624-2121 (या कै पस फोन से 4-2121)

C. क्षेत्रीय पररसरों के शिए अयतररतत संसा ििन

यू निसुस िी ऑफ़ पिट्सबर्ग िै ििफो ििग ररसोसेज़

ब्रै ििफो ििग कै ं िस

814-362-5121

242 Hanley Library

300 कै पस लाइव

Bradford, PA 16701

[clclark@pitt.edu](mailto:clclark@pitt.edu)

ब्रै ििफो ििग कै ं िस िु लस

814-362-3211  
300 कैं पस झाइव  
Bradford, PA 16701

ब्रैफोिंग सर्ू िेेर् अफ्रे यसग जहु ििसयल ऑक्रफस  
814-362-5084  
213 Frame-Westerberg Commons  
300 कैं पस झाइव  
Bradford, PA 16701 binder@pitt.edu

ब्रैफोिंग सर्ू एण्ि हेल्थ सपिसेज  
िेेर् काडांसेस्तर  
814-362-5272  
226 Frame-Westerberg Commons  
300 कैं पस झाइव  
Bradford, PA 16701

यू निसस िी ऑफ पिट्सबर्ग

ग्रीन्सबर्ग सैजग्रीन्सबर्ग कैं िस  
724-836-9902  
150 Finoli Drive  
108 Lynch Hall  
Greensburg, PA 15601  
[msk59@pitt.edu](mailto:msk59@pitt.edu)

ग्रीन्सबर्ग कैं िस िु लस  
724-836-9865  
150 Finoli Drive  
Greensburg, PA 15601-5860

ब्रैफोिंग सर्ू िेेर् अफ्रे यसग ज्यू िी िियल ऑक्रफसर  
724-836-9954  
219F Chambers Hall  
150 Finoli Drive  
Greensburg, PA 15601  
[leigh@pitt.edu](mailto:leigh@pitt.edu)

ग्रीन्सबर्ग सर्ू सपिसेज  
िेेर् काडांसेस्तर  
724-836-9870  
217 Chambers Hall  
150 Finoli Drive  
Greensburg, PA 15601-5860  
[gaylep@pitt.edu](mailto:gaylep@pitt.edu)

यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग जॉन्सराउन ररसोसेज

**जॉन्सराउन ररसोसेज**

814-269-7070  
248 Blackington Hall  
450 Schoolhouse Road  
Johnstown PA 15904 lpt@pitt.edu

**जॉन्सराउन कैंसिडुलस**

814-269-7005 (गैर-आपातकालिन)  
814-269-7222 (आपातकालिन)  
450 Schoolhouse Road  
Johnstown, PA 15904

**जॉन्सराउन स्रूिंर अफ़े यसग ज्यूिीरियल ऑफ़िसर**

814-269-7062  
142 Union, Johnstown, PA 15904 tshaffer@pitt.edu

**जॉन्सराउन स्ूिंर सपिसेज**

काउंसिलर  
814-269-7119  
G-10 Student Union  
450 School House Road Johnstown, PA 15904

यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग

राइसपिले ससोसेज़राइसपिले कैं

**सिडुलस**

814-827-4488  
112 Davis Hall  
224 N. Brown Street Titusville, PA 16354

D. कम्युनर ररसोसेर

[पिट्सबर्ग एकिन अरेन्सर् रेि](#)

1-866-363-7273 (24 घंरे)

[सेंर फ़ॉर पिकरमस](#)

412-392-8582 (24 घंरे)

[पिमेनस सेंर एणि डिलेटर ऑफ़ ग्रेर पिट्सबर्ग](#)

412-687-8005

पिट्सबर्ग ब्यूरो ऑफ़ फ़िंलस  
911

**मेरी-पिमेनस हॉस्पिटल ऑफ़ UPMC**

412-641-4933 (आपातकालीन कक्ष)

**UPMC ग्रेसबरोररयन हॉस्पिटल**

412-647-3333 (आपातकालीन कक्ष)

**एलेघेनी काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट (ऑकलिंग)**

412-578-8080

**ब्रेफिंग PA कम्युनिटी ररसोसेज़**

ब्रेफिंग YWCA / मैककेन काउंटी पिकरम्स' ररसोसग सेंटर

1-888-822-6325 (24 घंटे)

रिहाइसेंस सेंटर रिहाइसेंस इंग्रिंनिंग लाइन

1-800-459-6568 (24 घंटे)

ब्रेफिंग रीजनल मेडिकल सेंटर इमर्जेसी डिपार्टमेंट:

814-362-8274

पिमेनस हेल्थ सेंटर:

सपिस

814-362-8480

**ग्रीन्सबर्ग, PA कम्युनिटी ररसोसेज़**

ब्लैकबनग सेंटर अरेन्सर्

लॉइलेस, ग्रीन्सबर्

रिमेंसर्क एण्ड सेक्वि

724-836-1122

रिस्मोरल काउंटी रिहाइसेंस हॉलाइन

1-800-836-6010

रिस्सलियनया सर्ेर् डिपु लस फॉर हेमिफीलिटी राउनशिप

724-832-3288

एक्सेला हेल्थ रिस्मोरल हॉस्पिटल

724-832-4355 (आपातकालीन कक्ष)

**जॉन्सराउन, PA कम्युनिटी ररसोसेज़**

पिकरम्स' सपिसेज़, Inc. of Johnstown

814-288-4961 या 1-800-755-1983

पिमेनस हेल्थ सेंटर ऑफ़ जॉन्सराउन

814-536-5361 या 1-800-999-7406

ररचल रिउनशिप डिपु लस डिपार्टमेंट

814-266-8333



पहचान को प्रकट कर सकता है या पीड़ित ने घटना का विवरण साझा किया है, जब तक कि पेंसिलवेनिया कानून द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं है।

पीड़ित व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखते हुए, रॉडरिक्स IX संयोजक को इन व्यक्तियों या उनके कायापिंड को घटना की प्रकृत, तारीख, समय और सामान्य स्थान की रिपोर्ट करने की चाहिए। इस सीमांत रिपोर्ट में - जिनमें कोई ऐसी जानकारी शामिल नहीं है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित की पहचान करगी - यह रॉडरिक्स IX संयोजक को परस्पर के भीतर और बाहर यौन हिंसा की सामान्य सीमा और प्रकृत के बारे में सहायक जानकारी में

मदद करता है और इसीलिए पररसर संयोजक पैरनय को ट्रैक कर सकते हैं, समस्या के स्वरूप का मं यांकन कर सकते हैं और उपयुक्त पररसर-हयापी प्रयत्नक्रियाएं बनरूपत कर सकते हैं।

राइरि IX संयोजक को क्रकसी भी जानकार की स ना देने से पहिं, ये वयलत पीइइत वयलत से यह

सुणनलचत करने के शिए परामशय करेंगे क्रक कोई भी वयलतगत पहचान का ववरण राइरि IX संयोजकसाथ साझा नहं कया गया है। मीडइक सिंर्राफ और काउन्सिरि के शिए सपक्य जानकार नीचे द गई है।

वपटसबगय कै पस के शिए:

छात्र सिंर्रास्य सिंर्रास्य करने के शिए 412-383-1800 पर
यू निसस की काउन्सिशलरां सेंरि 412-648-7930 (सोमवार-शुंरि वार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) 412- 648-7859 (वयावसायक घंरों के बाद)

रजनि कै पसों के शिए:

ब्रिंरि सिंर्रास्य सिंर्रास्य काउन्सिशलरां एण्ि हेल्थ सपिस ेज 814-362-5272 226 Frame-Westerberg Commons 300 कैं पस हाइव Bradford, PA 16701	राइरिसपिले काउन्सिशलरां एण्ि सिंर्रास्य सिंर्रास्य सिंर्रास्य सिंर्रास्य 814-827-4465 J. कहर्यस मैकक्रकनी सिंर्रास्य सिंर्रास्य यू नयन 504 E. Main Street Titusville, PA 16354
ग्रीन्सबर्ग सिंर्रास्य सिंर्रास्य काउन्सिशलरां सपिस ेज 724-836-9870 217 Chambers Hall 150 Finoli Drive Greensburg, PA 15601-5860 <a href="mailto:gaylep@pitt.edu">gaylep@pitt.edu</a>	जॉन्सर्ाउन सिंर्रास्य सिंर्रास्य काउन्सिशलरां सपिस ेज 814-269-7119 G-10 Student Union 450 School House Road Johnstown, PA 15904

ध्यान दें: हां क्रक ये पेशेवर और गैर-पेशेवर काउन्सिरि और मीडइक सिंर्राफ वववववदयांिय से पीइइत की गोपनीयता को बनाए रि सकते हैं, ऐसा और इसके डिर् भी हो सकता है; उन्हें राज्य कानून के तहत ररपोर्य

करना हो सकता है या अन्य दाय्यत्व बनभाना पड़ सकता है। उदाहरण के शिए, पेनसल्वेनयन का कान मों

नाबाशिगों (18 वषय से कम उम्र के) और कु छ अपरांियों प्रवतयन को अयनवायय ररपोहर्ग के मामि मों कान रूर है।

यह भी नोर् करें: यह वववववदयांिय यनंिरररत करता है क्रक कथत अपरांिी वववववदयांिय समुदाय के शिए एक गंभीर और तत्कांिंिंररा हैं, तो सावजनक सुरक्षा ववभाग समुदाय को समय पर चेतावनी जार करने के

शिए कह सकता है। ऐसी क्रकसी भी चेतावनी में पीड़ित को पहचानने वां कोई भी जानकार शाशमं नहं होनी चाहए।

3. स्लमंमे िार कमचाररयों" को ररिोदरर् और र्ोिनीयता।  
कृ पया यौन दंु यवहार नीयत 06-05-01 में िारा VII. दे िेे



ा हुई थी या नहं; तथा पीड़ित नाबाशिग हो;

तथा ववश्ववदयाििय के पास यौन हहसा के (जैसे, सुरक्षा के मरे या कशमरों से प्राप्त, या प्रासंधगक सब

भौयतक साक्ष) प्राप्त करने के अन्य साििन हैं; पीड़ित की ररपोर्य में बताए गए स्थान पर या ककसी

ववशेष सम द्वारा अपरािि के पैरनय (जैसे, ह्मस या शराब के अवैिि उपयोग के ररए) का िििासा

होता है या नहं; और तथा अपराििी ववश्ववदयाििय का कमपार है।

इन कारकों में से एक या एक से अधिक की मौज गी ववश्ववदयाििय की जांच को ििे जा सकती है और, यहद

उपयुतत हो, तो अनुशासनात्मक कारयवाई भी हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी कारक मौज नहं है तो

संभवतः पीड़ित के गोपनीयता के शिए अनुरोिि का ववश्ववदयाििय सम्मान करेगा।

यहद ववश्ववदयाििय यह यनियरत करता है कक वह ककसी पीड़ित वयत्तत की गोपनीयता को बनाए नहं रिि सकता है, तो

ववश्ववदयाििय पीड़ित को जांच शुरू करने से पहििे सधू चत करेगा, पीड़ित वयत्तत की सुरक्षा और सहायता केशिए तत्कािि आवश्यक कारयवाई करेगा और ववश्ववदयाििय की कारयवाई के शिए, जहां तक संभव हो, के विलम्मेदार ििोगों के साथ जानकार साझा करेगा। पीड़ित के ह्िििाफ़ प्रयतशोिि, चाहे वह छात्रों द्वारा हो या

ववश्ववदयाििय के कमपारर्यों द्वारा, बदापशत नहं ककया जाएगा।

## 2. यौन हिंसा के अन्य मामले

जैसा कि यौन हिंसा नीयत विधारा IV. A. और C. में बताया और पररभावषत क्रकया हार में कई दंड यव गया है, यौन दंड यव कायय शाशमि हो सकते हैं, लजनमें से कई में यौन हहसा नहं है। हांकिंकिं ववश्ववदय्यांय इन शशकायतों से यनपरने में प य गोपनीयता का वादा नहं कर सकता है, किंकिं य तर के सेप ताछ करने, ववश्ववदय्यांय ववकेप शशकायतों और उससे संबंथित कारयवाई को अंजाम देने के शिए यथोधचत प्रयास करता है। फ्तयेक ल्स्थयत को यथासंभव ववकेपूणय तर के से हकिं क्रकया जाता है, उन सूचनाओं को साझा क्रकया जाता है, लजनें मामि की जांच करने और हकिं करने के शिए जानना जरूर होता है। कु छ पररल्स्थयतयों में, कथथत अपरांिी के आगे शशकायतकताय की पहचान का हिंसांसा क्रकए खना ववश्ववदय्यांय धचताओं को दर करने में सक्षम हो सकता है और ऐसे वववहार को रोक सकता है। बहरहां, हर मामि में ऐसा संभव नहं है, तयोंकिं कु छ ल्स्थयतयों में मामि की जांच करने और/या अशभयुतत अपरांिी को उसके या उसके खिंफ़ आरोपों का जवाब देने को बाध्य करने के शिए शशकायतकताय की पहचान का हिंसांसा करना जरूर हो जाता है।

### C. सावजनक जागरूकता कायमि और अन्य ररपोहरग संबंिी अपवादा

"रूक बैक द नार्," तिोथिंाइन प्रोजेतर, कैं डिंिंाईर वलजल्स, तिस पेपस, शोिं भागीदार, वरोिं प्रदशन, "सवाइवर स्प्रीक आउर" जैसे इवेंट्स या ऐसे अन्य मंचों लजनमें छात्र यौन हहसा की घर्नाओं का हिंसांसा करते हैं, वे क्रकसी भी ववशेष घर्ना(ओं) की जांच के शिए उसके दाययत्व को हटार ना करने के ा के बारे उद्देश्यों से यौन हहसें ववश्ववदय्यांय को नहं बताते हैं।

### D. अशभभावक/कान िी अशभभावक/सहयोगी स ना

कु छ मामिों में जब कोई गंभीर स्वास्य या सुरक्षा संबंिी धचता होती है, तो ववश्ववदय्यांय को प्रभावत ववल्ततयों के माता-वपता, अशभभावक (अशभभावकों) या साथी को सधू चत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह यनकिंाण करने में, ववश्ववदय्यांय संबंथित विंोगों की इच्छाओं, साथ ह उनकी ववल्ततगत सुरक्षा और पररसर समुदाय की सुरक्षा पर ववचार करेगा।

जब वववहार पैरनय धचताजनक हो या छात्र की ल्स्थयत में पररवतन होता है, तो ववश्ववदय्यांय आधित छात्र के माता-वपता या अशभभावकों से भी सपकय कर सकता है। इसके अिावा, जब कोई ववल्तत, जो 18 वषय से कम आयु का है, यौन दंड यवहार की ररपोर्य करता है, तो नाशमत ररपोहरग प्रतयनधियों और गोपनीय स्रोतों दोनो को यौन दंड हार की ररपोर्य उपयुतत सामाजक सेवा एजेंसी या पुासि को देनी पड़ सकती है, जो तब कान माता-वपता या िी अशभभावक से सपकय कर सकते हैं।

## VII. िररशिप्र C: अन्य प्रासांगर्क पिचार

### A. प्रयतशोि

कृ पया यौन र्दु यवहार नीयत 06-05-01 में िारा VIII को दे िेे

### B. ल्म्मेदार कारयवाई प्रोर्ोकोि

हमारे समुदाय का कल्याण और सुरक्षा सवोपरर है। ववश्वववदयाििय समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहहत करता है ऋ वे दसर्ों को सहायता और सहयोग प्रदान करें।

कभी-कभी िोग इस डर से दसरों को सहायता देने में संकोच करते हैं वे अन्य नयीतगत उल्िंघनो (जैसे शराब उल्िंघन) के शिए प्रयतबंिों के अिीन हो जाएंगे। हािंका गंभीर नयीत उल्िंघनो को नजरअंदाज नहं ककया जा सकता है, वश्ववदयाििय सहायता की पेशकश करने वािंो के शिए एक उपयुतत प्रतक्रिया के रूप में प्रयतबंिों केबजाय शैकक वकल्प या प्रशक्षण प्रदान करने पर ववचार करेगा।

तयोकक वश्ववदयाििय समझता है कक संभावत कारयवाइयो के डर से आपातकाि न सहायता या ररपोहर्ग के

अनुरोिों में कमी आ सकती है, इसशिए वश्ववदयाििय ने छात्रों की ओर से इस तरह की श्चताओं को दर करने

और लूमंेदार कारयवाई को बढंावा देने के शिए एक लूमंेदार कारयवाई प्रोरोकोिि (ररस्पॉल्सबि एतशन प्रोरोकोिि) को अपनाया है।

यह कैं पस पुराििस समेत कानून प्रवतन ऐसी चीजों के रनिने या सेवन करने के बारे में पू तरह से जागरूक हो जाता

है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ पेनशसल्वेयनया कानून के अनुसार, 21 वषय से कम उम्र के छात्र को अपने पास मादक पेय रिने या सेवन करने के शिए अशभयोजन से संरक्षत ककया जाएगा, तयोकक छात्र ककसी और के शिए मंेहकिक सहायता की मांग कर रहा था। वश्ववदयाििय ने न के वि आपराधिक मुकदमा चिंाने से छू र देने के शिए इस

कान के पीछे यनहहत नयीत में ववस्तार ककया है, बल्लक छात्रों को न्याययक बोडय संबंिी कारयवाई शुरु करने से भी छू र

द गई है। दसरे वयलत के शिए और यौन हमिंे के पीहहतों के शिए मंेहकिक सहायता करने वािंे छात्र पर यह िांग

होता है। लूमंेदार कारयवाई प्रोरोकोिि के तहत, ररपोर्य करने वािंे छात्र को शराब के उल्िंघन से छू र शमिंेगी, िंेककन

ककसी अन्य आपराधिक गयतवधि जैसे कक मारपीर्, संपवि को नुकसान या अन्य गी से अवैिि पदाथों की मौज संबंिधित अनुशासनात्मक उल्िंघन से नहं।

लूमंेदार एतशन प्रोरोकोिि के तहत सुरक्षा की मांग करने वािंे छात्रों को ल्थयत पर चचाय करने के शिए हो सकता है वश्ववदयाििय के एक अधिकार से शमिंेना पड़े।

### C. इरादा बनाम प्रभाव

यह त्य कक ककसी का इरादा ककसी वयलत के िििाफ यौन दुु यववहार में शाशमिंे होने का नहं था, इसे यौन

दुु यववहारकी शशकायत के मददेनजर पयायत जवाब नहं माना जाता है। शमसािि के तौर पर, कु छ मामिों में, हो

सकता है शशकायतकताय या प्रयतवाद के सांस्कृतक मतभेद उनके वयवहार की वयाख्या में कोई भू मका यनभाता हो,

लजसके पररणामस्वरूप यौन दुु यववहार की शशकायत हो सकती है। यह अपेक्षा की जाती है कक वश्ववदयाििय

समुदाय के सभी सदस्य इस नयीत के तहत यौन दुु यववहार के बारे में जानकार रिंते हैं बहरहािि, ज्यादातर

मामिों में, प्रयतवाद की अनुभू त पर ववचार ककया जाएगा की शशकायतकताय के साथ ऐसा वयवहार ककसी प्रभाव और ििंक्षण के तहत हैं और तथा ऐसी ह ककसी ल्थयत में ककसी

उपयुक्त खल्लत को ऐसे आामक वयवहार का पता चलेगा या नहं, जो यह यनलाररत करे कक ककया गया हार है या नहं। खयवहार यौन दुु यव

D. संघीय सांख्यकीय ररपोहर्ग संबंली दाययत्व

तरैर एतर (कै म्पस ल्ाइम सर्ुरैहरल्लरतस एतर) के अनुपालिन में, नाशमत ररपोहर्ग प्रयतयनधलियों को ववशववदयलिय पुरलिस के यौन दुु यवहार की ररपोर्य करना आवश्यक है जो एक अपरालि का गठन करता है। इसके अलवा, ववशववदयलिय पुरलिस द्वारा गोपनीय सहयोगी संसालिनों से प्राप्त गुमनाम ररपोर्य और पहचान गछपा कर की गई अपरालिों की ररपोर्य भी तरैर अधियनयम ररपोर्य में शाशमलि ककया गया है। आमतौर पर, यनम्नशललित जानकार शाशमलि होती है: अपरालि में शाशमलि वयल्लतयों के अपरालि, हदनांक, स्थान और ल्थयत (याननी छार, फ़ै कलर्, सर्ाफ़, अजनबी, आहद)। ववशववदयलिय कभी भी अपरालि के आंकड़ों में शशकायतकताय या प्रयतवाद का नाम शाशमलि नहं करता है।

जब यौन दंडु व्यवहार की शक्यायत की जाती है, त्जसमें हो सकता है कोई आपराधिक कृत्य भी हो, तो ववश्वववद्व्याधिय शक्यायतकताय को आपराधिक शक्यायत दजय करने के उसके अधिकार के बारे में सधू चत करेगा।

#### E. संघीय समय पर चेतावनी के दाययत्व

जब क्रकसी अपराधिक की ररपोर्य की जाती है, तो ववश्वववद्व्याधिय का क्रम ही तौर उस वयत्तत, त्जसके साथ हार दंडु यव हुआ है, और पररसर की सुरक्षा के शिए सभी आवश्यक कदम उठाने के शिए बाध होता है। इसमें पररसर को ऐसे अपराधिकों के बारे में चेतावनी देना शाशमिक हो सकता है, त्जससे यह यनधियासत हो एक पररसर के सदस्यों को शार ररक रूप से नुकसान पहुंचाने या धितरे के शिए यह पयायत है। ऐसा यनणय धिनेने में, छात्रों, फ़ै कलर् और सर्ाफ़ की सुरक्षा के साथ-साथ ऐसी घर्नाओं में शाशमिक सभी वयत्ततयों के गोपनीयता संबंधिी हहतों पर ववश्वववद्व्याधिय ववचार करेगा।

ववश्वववद्व्याधिय द्वारा की गई कारयवाई के बावज , समुदाय के सदस्यों को सुरक्षा साविनी बरतने के शिए पयायत जानकार प्रदान करते हु ए भी ववश्वववद्व्याधिय यह सुयनश्चत करने का हर संभव प्रयास करेगा क्रकसी पीडडत का नाम और अन्य पहचान संबंधिी जानकार का धिधुधिसान क्रकया जाए। अधिक जानकार के शिए, अनुभाग IV गोपनीयता दे धिधेें।